राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प027(07)चिस्वा/ग्रुप–2/2017 जयपुर दिनांक: 20.02.2017

M/s Adsol, 14, Transport Nagar, Jaipur

अपीलान्ट

बनाम

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या – 07/2017

अपील अन्तर्गत धारा 38 (1), RTPP Act, 2012

निर्णय दिनांक 20.02.2017

अपीलान्ट फर्म M/s Adsol, 14, Transport Nagar, Jaipur की ओर से Mr. Sandeep Pathak, Advocate एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से श्री ओम कसेरा, प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) एवं समस्त तकनीकी सदस्य आदि उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान दोनो पक्षो द्वारा दी गई दलीलों के आधार संक्षिप्त मे इस प्रकार है:–

1. रेस्पोंडेंट, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के द्वारा Establishment of skill lab on turnkey basis for ANM Training centre, GNM Training centre and State Nodal Centre हेतु खुली निविदाए आमन्त्रित किये जाने हेतु निविदा संख्या No. F-8( ) RMSC/EPM/M-4/16-17/NIB-178/3599 dated 11.08.2016 जारी की गयी। इस निविदा की शर्त अनुसार निविदादाता को डेमोंस्ट्रेशन में तकनीकी योग्य होने हेतु Minimum Qualifying Score 75% रखा गया। जिसके संबंध में निविदादाताओं को पूर्व में ही जानकारी थी।

2. उक्त निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 08.12.2016 को ई–पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की गई। जिसके अन्तर्गत फर्म M/s Adsol, Jaipur ,oa M/s HLL Life Care Limited, Channai की निविदायें प्राप्त हुई। इस क्रम में उक्त दोनो फर्मों का डेमोंस्ट्रेशन तकनीकी समिति द्वारा क्रमशः दिनांक 18.01.2017 एवं 19.01.2017 लिया गया। जिसमें अपीलार्थी फर्म M/s Adsol, Jaipur का स्कोर 64.617% रहा। जो कि निविदा की शर्त अनुसार Minimum Qualifying Score 75% से कम था।

3. अपीलार्थी फर्म M/s Adsol, Jaipur द्वारा रेस्पोंडेंट से प्रथम डेमोंस्ट्रेशन में से शेष रहे आईटम के लिए पुनः डेमोंस्ट्रेशन हेतु आग्रह किये जाने पर तकनीकि समिति द्वारा दिनांक 25.01.2017 में अपीलार्थी फर्म के शेष रहे आईटमों का पुनः डेमोंस्ट्रेशन लिया गया। जिसके आधार पर अपीलार्थी फर्म M/s Adsol,

Jaipur का स्कोर 64.617% से बढ़कर 69.029% रहा। जो भी निविदा की शर्त अनुसार Minimum Qualifying Score 75% से कम था।

4. डेमोंस्ट्रेशन में प्राप्त स्कोर के आधार पर रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलार्थी फर्म M/s Adsol, Jaipur को तकनीकी रूप से अयोग्य करते हुये कार्यालय आदेश क्रमांक 486 दिनांक 07.02.2017 जारी किया। अपीलार्थी फर्म M/s Adsol, Jaipur द्वारा उक्त कार्यालय आदेश में स्वयं का तकनीकी रूप से अयोग्य होने के कारणों का उल्लेख नहीं होना बताया गया। अतः अपीलीय कार्यवाही के अनुसार रेस्पोंडेंट को निविदा की सम्पूर्ण डेमोंस्ट्रेशन रिपोर्ट अपीलार्थी फर्म को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा अपील की अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14.02.2017 निर्धारित की गयी।

5. दिनांक 14.02.2017 को अपीलीय कार्यवाही में अपीलार्थी फर्म M/s Adsol, Jaipur ने रेस्पोंडेंट द्वारा उपलब्ध करवायी गयी डेमोंस्ट्रेशन रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया। साथ ही तकनीकी समिति को तकनीकी मूल्यांकन हेतु अयोग्य बताया गया। इस क्रम में रेस्पोंडेंट ने अवगत कराया की उक्त निविदा के लिए तकनीकी समिति सदस्यों हेतु उच्च शिक्षित, विषय–विशेषज्ञों का चयन किया गया तथा तकनीकी समिति सदस्यों द्वारा डेमोंस्ट्रेशन प्रक्रिया में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते हुये पूर्व में निर्धारित निविदा शर्तों अनुसार डेमोंस्ट्रेशन की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई। तकनीकी समिति सदस्यों द्वारा डेमोंस्ट्रेशन के दौरान पायी जाने वाली कमी/पूर्ति का उल्लेख डेमोंस्ट्रेशन रिपोर्ट में अंकित किया गया है।

6. अपीलार्थी फर्म M/s Adsol, Jaipur द्वारा एक तकनीकी समिति सदस्य डा. विनोद, JHPIEGO को निविदा में अपने प्रतिद्वंदी फर्म के लिए लाभार्थी (Beneficiary) बताया गया। उक्त क्रम में रेस्पोंडेंट द्वारा अवगत कराया कि तकनीकि समिति सदस्यों हेतु उच्च शिक्षित, विषय–विशेषज्ञों का चयन किया गया, जिन्हें किसी भी एक सदस्य द्वारा भ्रमित किया जा सके, यह केवल एक कल्पना मात्र है।

7. अपीलार्थी फर्म M/s Adsol, Jaipur द्वारा डेमोन्सट्रेशन के दौरान तकनीकी समिति सदस्यों का कोरम के रूप में उपस्थित नहीं होना बताया गया। इस संदर्भ में रेस्पोंडेंट द्वारा अवगत कराया गया कि तकनीकी समिति सदस्यों द्वारा डेमो लिया जाकर सर्वसहमति से डेमोन्सट्रेशन रिपोर्ट हस्ताक्षर कर रेस्पोंडेंट को उपलब्ध करवायी गई। जो की अपीलार्थी फर्म M/s Adsol, Jaipur को उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

आदेश

उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निरस्त की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

अपीलीय अधिकारी एवं
शासन सचिव